फा.सं. 3.12(1)/2017-सा.I
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली- 110069

दिनांक: 23.05.2018

<u>ई-निविदा आमंत्रण सूचना</u>

विषय: अनुप्रयोज्य / अनुपयोगी ई-वेस्ट मदों के लिए ई-निविदा आमंत्रण सूचना ।

"अनुबंध-II" में यथावर्णित समय-सीमा के अनुसार अनुपयोगी ई-वेस्ट मदों जैसे कम्प्यूटर प्रिंटर्स, यूपीएस एवं उनके पेरीफेरल्स, फोटोकॉपियर्स इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रिक मदों के निपटान के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार या दिल्ली प्रदूषण केंद्रीय बोर्ड (भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित) के साथ पजीकृत/प्राधिकृत ई-वेस्ट रीसाइकलर्स/रिप्रोसेसर्स ऑफ ई-वेस्ट से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है जिनका विवरण निम्नुसार है:-

<u>क्रिटिकल डेटशीट</u>

प्रकाशित किए जाने की तारीख	23.05.2018 (अपराहन 03:30 बजे)
बोली दस्तावेज को डाउनलोड करने की तारीख :	23.05.2018 (अपराहन 03:30 बजे)
बोली प्रस्तुत करने की शुरु होने की तारीख	23.05.2018 (अपराहन 03:30 बजे)
बोली प्रस्तुत करने की समाप्ति की तारीख	13.06.2018 (प्रातः 11:00 बजे)
बोली को खोलने की तारीख	14.06.2018 (प्रातः 11:00 बजे)

निविदा दस्तावेज के अनुसार प्रस्ताव केवल ऑनलाइन http:/eprocure.gov.in/e-procure/app पर प्रस्तुत की जाएगी । निविदा हार्डकॉपी, फैक्स या ई-मेल या किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं की जाएगी । विस्तृत निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.upsc.gov.in तथा http://eprocure.gov.in पर उपलब्ध है ।

संविदाकर्ता/निविदकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे केंद्रीय लोक प्रापण पोर्टल पर http:/eprocure.gov.in/e-procure/app के माध्यम से ऑनलाइन बोलियों के ई-प्रस्तुतीकरण के लिए निविदाकर्ता/संविदाकर्ता के लिए अनुदशों में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें ।

(अनिल कुमार)
अवर सचिव (बै. एवं अनु.)
संघ लोक सेवा आयोग

1. <u>**जमा धरोहर राशि (ई एम डी)**</u>

1.1 बोली के साथ सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली- 110069 के पक्ष में देय 20,000/- रू. (बीस हजार रू. मात्र) की जमा धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर / बैंकर्स चेक जो सचिव संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में देय हो, को क्रिटिकल डेटशीट में यथार्णित बोली के खुलने की तारीख/ समय पर या उससे पहले संघ लोक सेवा आयोग में सुपुर्द की जानी चाहिए । बीलीदाता जमा धरोहर राशि की स्व-अनुप्रमाणित स्कैंड प्रति ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे ।

1.2 जमा धरोहर राशि अंतिम निविदा वैधता अवधि से परे 45 दिन की अवधि के लिए वैध रहेगी ।

1.3 बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव को वापस लेने या उनके निबंधन एवं भर्ती को आशोधित करने की अनुमति नहीं होगी । यदि बोलीदाता संविदा में दिए गए अनुबंधों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं और दर उद्धत करने के बाद इन्हें वापस लेता है तो उपर्युक्त बोली प्रतिभूति सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी ।

1.4 जमा धरोहर राशि के बिना बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी ।

1.5 जमा धराहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

2. वित्तीय बोली: वित्तीय बोली की स्कैंड प्रति को अनुबंध-1 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में अपलोड की जानी चाहिए । मुहर सहित और/या अहस्ताक्षरित बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

3. बोली का मूल्यांकन: बोली का मूल्यांकन इस उद्देश्य के लिए गठित निविदा मूल्यांकन समिति (नि.मू.स.) द्वारा की जाएगी । निविदा उस फर्म को प्रदान की जाएगी जो उच्चतम दर उद्धत करेंगे और नि.आ.सू. के सभी निबंधन एवं शर्तों को पूरा करते है ।

4. निबंधन एवं शर्तें

4.1 बोलीदाताओं को संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध-1) के अनुसार बिना शर्त के समग्र दरों का उल्लेख करना चाहिए न कि एकल मद के दरों के लिए ।

4.2 बिलियां केवल ई-वेस्ट से संबंधित पंजीकृत फर्मों से आमंत्रित की जाती है और पंजीकृत फर्मों के अलावा किसी अन्य फर्मों से प्राप्त बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा । निविदाकर्ता/प्राधिकृत ई-वेस्ट रीसाइकलर्स को भारत सरकार/ राज्य से प्राप्त प्राधिकार पत्र जो कम्प्यूटर, प्रिन्टर्स, यूपीएस एवं उनके पेरीफेरल्स इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रानिक्स मदों आदि के लिए ई-वेस्ट मदों के संग्रह/निपटान के लिए जो उनके अपने नाम/संगठन के होने चाहिए, को प्रस्तुत करना होगा ।

4.3 बोलयों के खुलने की तारीख से बोलियां स्वीकृति के लिए छ: महीने की अवधि के लिए वैध रहेगी। कम वैधता अवधि वाली बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

4.4 सामग्री को उच्चतम स्वीकार्य प्रभावी बोलीदाता (एच-I) द्वारा आयोग के कैशियर के पास सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय रेखांकित बैक ड्राफ्ट / पे आर्डर/ बैंकर चेक के रूप मे पूरी धनराशि जमा करने के बाद आदेश प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के भीतर " जैसा है जहां है के आधार पर" हटाना होगा। जमा धरोहर राशि को सफल बोलीदाता के अनुरोध पर अंतिम भुगतान के विरूद्ध समायोजित की जा सकती है या जमा धरोहर राशि को निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को हटाने के बाद लौटा दिया जाएगा ।

4.5 सामग्री का निरीक्षण दिनांक **04.06.2018 से 08.06.2018 तक कार्यालय परिसर में 3:00 बजे अपराहन से 4:00 बजे अपराहन तक** संभावित बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों द्वारा सावधानीपूर्वक करना होगा और निरीक्षण के समय संबंधित अधिकारी से पूछताछ की जा सकती है । इसके अतिरिक्त उपर्युक्त निरीक्षण के बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा।

4.6 स्थल से नीलामी की गई वस्तुओं को हटाते समय आयोग अथवा सरकार की मौजूदा संपत्ति को हटाने के कारण कोई क्षति नहीं होनी चाहिए । सफल बोलीदाता अथवा उसके प्राधिकृत श्रमिक / पर्यवेक्षक की लापरवाही या कार्रवाई के कारण सरकार / आयोग को कोई हानि/ क्षति अथवा किसी व्यक्ति को चोट लगने अथवा व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए सफल संविदाकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति करनी होगी ।

4.7 सामान / सामग्री को आयोग के नामोदिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) के पर्यवेक्षण में हटाया जाएगा । सामग्री को आदेश की प्राप्ति से 5 दिन के भीतर हटाना होगा । साधारण परिस्थिति में समय को बढ़ाया नहीं जाएगा । तथापि, अपर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग 2 दिन को बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते संविदाकर्ता द्वारा लिखित में ऐसे विलंब के पूरे कारण बताने होंगे । निर्धारित समय से परे विलंब होने पर संघ लोक सेवा आयोग को आदेश को निरस्त करने और संविदाकर्ता की जमा धरोहर राशि को जब्त करने का हक होगा।

4.8 सामान/सामग्री को केवल कार्यालय समय के दौरान हटाने की अनुमति होगी । वस्तुओं को छुट्टी के दिन का कार्यालय समय के पश्चात हटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी । सफल बोलीदाता सभी सूचीबद्ध अनुपयोगी मदों न कि चयनित मदों को ले जाएंगे ।

4.9 सभी बोलीदाता को ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 में समाविष्ट उपबंधों तथा सरकार द्वारा पर्यावरण मैत्री के तरीके से निपटान/पुर्नचक्रण हेतु जारी दिशा निर्देशों तथा उसके बाद भारत सरकार/राज्य सरकार/ संघ सरकार राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अन्य अधिसूचनाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा ।

4.10 अनुपयोगी मदों के निपटान के संबंध में या इससे या इससे बाहर उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न, विवाद था अंतर के निपटान के लिए सचिव, सं.लो.से.आ. द्वारा भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत नियुक्त माध्यस्थ को पूर्ण मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा ।

4.11 सचिव, संघ लाक सेवा आयोग के पास किसी या सभी निविदा को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है । यदि वे महसूस करते हैं कि समुचित प्रापण प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया है और / या उनकी निविदा गलत ढंग से अस्वीकार की गई है तो वे बोलीदाता सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को संबोधित करते हुए अपना अभ्यावेदन भेज सकते है ।

(अनिल कुमार)
अवर सचिव (बै. एवं अनु.)
संघ लोक सेवा आयोग
दूरभाष:
23382415

<u>वेब आधारित विज्ञापन के लिए वेबसेल को प्रति अग्रेषित ।</u>

<u>**अनुबंध-1**</u>

<u>संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय से अनुप्रयोज्य / अनुपयोगी मदों (ई-वेस्ट मदों) की खरीद के लिए बोलियां प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप</u>

1. फर्म का नाम और पता : ....

2. संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम :...

3. टेलीफोन नं. :

(आवास):...
(कार्यालय): ....
(मोबाइल): ....
(फैक्स): ....

4. आयकर खाता सं. ....

5. संलग्न जमा धरोहर राशि का ब्यौरा : डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर सं. ....
दिनांक .... धनराशि :-

6. कोटेशन: धनराशि :.............................रू. में
धनराशि (शब्दों में) :.................................रू.

7. क्या अद्यतन आयकर निकासी की
प्रति संलग्न की गई है : <u>हां / नहीं</u>

8. क्या ई-वेस्ट प्राधिकार प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गई है <u>हां / नहीं</u>

9. घोषणा

मैं............................प्रमाणित करता हूं कि नि.आ.सू. में वर्णित सभी निबंधन एवं शर्तें मुझे स्वीकार हैं ।

(नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर)

S. NO.	NAME OF ITEMS	TOTAL QUANTITY	
	Computers (CPU)		
1	Wipro p-3	1	24
2	PCS	4	
3	HP 2280	10	
4	Wipro P-4	4	
5	Acer	2	
6	CMC	2	
7	Aspire	1	
8	**Server**		
9	Server IVRS	1	3
10	HP Net Server	1	
11	Server PCS	1	
12	**Monitors**	46	46
	Printers		
13	TVS 245/255/355	13	72
14	HP DJ 1200	7	
15	HP DJ 7000	2	
16	CP 1700	3	
17	DJ 810/840/845	13	
18	Canon	5	
19	Laserjet 6L	1	
20	DJ 5550	2	
21	DJ 5510	1	
22	HP Laserjet 1200	3	
23	Lexmark	11	
24	Line Printer	1	
25	HP 8000/8100 DJ	1	
26	Laserjet HP	1	
27	HP	8	
28	UPS	20	20
29	Photocopiers	33	33
30	Window AC 1.5 TR	12	12
31	Split AC 1.5 TR (Indoor -Outdoor)	7	7
32	Floor Mounted (Indoor- Outdoor) AC 2 TR	2	2
33	Fax Machine	1	1
34	Calculator	15	15
35	Paper Shreader Machine	2	2
36	Scanner	1	1